न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी - हिम्मतसिंह आर.ऐ.अस.

प्रार्थना पत्र सं. 476/2018

निर्णय दिनांक 25.04.2019

1.भादरराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2.बेदकोर पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

1.रामसिंह पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2.रतनसिंह पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू

3.रामकुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू

4.बलबीर पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू

5.उमेद पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू

6.श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

अप्रार्थीगण

7.चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. चूरू शाखा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू जरिये –शाखा सचिव

गोण अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राज. भू राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति - 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट - वास्ते प्रार्थीगण

2.एक पक्षीय कार्यवाही - अप्रार्थी सं. 1 से 5

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

3.पैरोकार राज - राज्य की ओर से

4.एक पक्षीय कार्यवाही - गोण अप्रार्थी सं. 7

निर्णय

प्रकरण से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पैश किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 312 तादादी 0.0100 हेक्टेयर, खसरा नं. 313 तादादी 6.1100 हेक्टेयर रोही बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है । यहि विवादित कृषि भूमि है वास्ते मुलाहिजा जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 संलग्न प्रार्थना पत्र हैं । प्रार्थीगण अकेले विवादित कृषि भूमि 312,313 के खातेदार कास्तकार हैं । विवादित कृषि भूमि के दक्षिण में सीमा से चिपता हुआ कटोनी रास्ता स्थित है तथा कटोनी रास्ता के दक्षिण में अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है अप्रार्थीगण झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं जो कटोनी रास्ता की भूमि पर जबरन कब्ज़ा कर रास्ता को प्रार्थीगण के खातेदारी की विवादित भूमि की ओर धकेल देते हैं जिस कारण विवादित कृषि भूमि की दक्षिणी सीमा के सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके हैं जिस समस्या के निस्तारण हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 6 के यहां पैमाइश व पत्थरगढ़ी के लिये प्रार्थना पत्र पैश कर वांछित शुल्क जमा करवाया मगर पैमाइश कुनिंदा कर्मचारियों ने बिना मोके पर माप किये ही विवादित कृषि भूमि की सीमा बता कर मोका रिपोर्ट तैयार करली जो अप्रार्थी सं. 6 के आदेश का खुला उलंघन है तथा प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि की पैमाइश की अनुभवी राजस्व की टीम से पैमाइश करवा कर दक्षिणी सीमा पर पत्थर गढ़ी करवाने के अधिकारी हैं जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पैश किया जा रहा है । विवादित कृषि भूमि अदालत वाला के अधिक्षेत्र में स्थित है तथा पत्थर गढ़ी के आदेश पारित करने कि अधिकारिता अदालत वाला में निहित है जिस कारण अदालत वाला को प्रार्थना पत्र हाजा हेतु श्रवनाधिकार हासिल है । विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 312,313 गोण अप्रार्थी के यहां रहन भी हैं जिस कारण प्रार्थीगण व गोण अप्रार्थी के विवादित भूमि में हित सामान हैं मगर गोण अप्रार्थी ने बतोर प्रार्थी प्रार्थना पत्र पैश करने में असमर्थता व्यक्त कि है जिस कारण उन्हें पक्षकार प्रार्थना पत्र गोण अप्रार्थी बनाया गया है । अतः निवेदन है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 312 तादादी 0.0100 हेक्टेयर, खसरा नं. 313 तादादी 6.1100 हेक्टेयर रोही बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू की अनुभवी पटवारी गिरदावर की टीम गठित कर पैमाइश करवाई जाकर चारों तरफ की सीमाओं की पत्थर गढ़ी करने के आदेश जारी फरमाये जावें आदि आदि पैश किया जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया । अप्रार्थी सं. 1 से 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये जिस कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी सं. 6 ने प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

में कोई राज्य हित निहित नहीं होना जाहिर किया है व गोण अप्रार्थी के हित प्रार्थना पत्र के अनुतोष से प्रभावित नहीं होते हैं ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार निर्विवाद रूप से प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश व सीमाओं पर पत्थर गढ़ी करवाने का अधिकार है । प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पैश नहीं हुआ है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 312 व 313 उत्तर पश्चिम में गांव की आबादी के चिपते स्थित हैं तथा दक्षिण में गैर मुमकिन रास्ता लगता है जिस कारण विवादित कृषि भूमि के उत्तर पश्चिम व दक्षिण में सीमाओं पर पुख्ता सीमा चिन्ह मोजूद नहीं हैं । प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व पैमाइश रिपोर्ट से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रमाणित होता है जिसका कोई खण्डन पैश नहीं हुआ है जिस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 312 तादादी 0.0100 हेक्टेयर, खसरा नं. 313 तादादी 6.1100 हेक्टेयर रोही बालाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू की अनुभवी टीम से पैमाइश करवा कर सीमाओं पर पुख्ता पत्थर गढ़ी करवायें । खर्चा प्रार्थना पत्र पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू को पालना आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)